भारत में खाद्य सुरक्षा का महत्त्व

*प्रा. डॉ. बालाजी कांबळे
** प्रा. डॉ. मनोजकुमार सोमवंशी

शोधपत्र-अर्थशास्त्र

विश्वमे खाद्य सुरक्षा को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है । मानव समाज की जो तीन आवश्यक पूर्तीया हैं । उसमे अन्नपूर्ती एक महत्वपूर्ण हैं । इसलिए जागतिक स्तर पर खाद्य सुरक्षा महत्वपूर्ण बाब बन गई हैं । १९८३ मे खाद्य ओर कृषी संघटनने खाद्य सुरक्षा की परिभाषा करते हुऐ कहा हैं की, "पूरी जनता को पूर्ण कालखंडमे खाद्यान्न की पूर्ती करने के लिए भौतिक और आर्थिक उपलब्धीकी हमी देना इसे खाद्य सुरक्षा कहा जाता हैं।" १९८५ मे जागतिक मानव विकास अहवाल मे खाद्य पूर्ती की परिभाषा मे "स्वास्थपूर्ण जीवन के लिए पूर्ण कालखंड मे पर्याप्त खाद्यान्न की उपलब्धी होना।" १९९० के दशक में स्टेटझने इस संकल्पना की व्याप्ती बढा दि और खाद्य सुरक्षा की परिभाषा इस प्रकार की, "लम्बे समय में देश की संपूर्ण जनता को हर समय, पूर्ण कॅलरी के साथ, गुणवत्तापूर्ण और खात्रीलायक खाद्यान्न की हामी प्राप्त होना।"

उपरोक्त परिभाषा के अनुसार खाद्य सुरक्षा मे निम्न बाबी का समावेश होता हैं । ०१. एक विशिष्ट समय में अर्थव्यवस्था खाद्यान्न मे स्वयंपूर्ण हो शकती हें । किंतू खाद्य सुरक्षा के लिए पूरी जनता को लम्बे समय में, हर समय में, खात्रीलायक, सकस खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धी होना आवश्यक हैं। ०२. भौतिक दृष्टीसे देश की समान्य जनता के लिए खाद्यान्नका पर्याप्त साठा आवश्यक हैं। ०३. जनता को आवश्यक खाद्यान्न के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रामे धनशक्ती होना आवश्यक हैं । ०४. सुदृढ आरोग्य और अच्दा जीवन के लिए उपलब्ध खाद्यान्न, आहार विषयक पूर्ती के लिए खाद्यान्न गुणवत्तापूर्ण और समुच्च मात्रा में होना आवश्यक हैं । इस प्रकार खाद्यसुरक्षा का विश्लेषण करते हुए उपरौक्त ४ मुद्योंका अधिक तर ध्यान देना आवश्यक हैं । प्रसिध्द नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री डॉ. अमर्त्यकुमार सेन और भारत के कृषी अर्थशास्त्री डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन ने भारत के लिए खाद्य सुरक्षा को महत्व दिया हैं ।

भारत मे खाद्य सुरक्षा : स्वातंत्रोत्तर कालखंड में भारत मे खाद्यान्नकी पर्याप्त मात्रा मे उत्पादकता होने के कारन जागतिक स्तर पर खाद्यान्न मे भारत स्वपूर्ण बन गया हैं । बढती जनसंख्या के साथ खाद्यान्न मे भी बढोतरी हो गयी हैं । प्रतीव्यक्ती खाद्यान्न का उपभोग प्रसंसनिए हैं लेकिन इसका मतलब हम खाद्य सुरक्षा प्राप्त कर चुके हैं, ऐसा नही । राष्ट्रीय स्तर पर हमने खाद्य सुरक्षा प्राप्त कर ली हैं । लेकिन कौंटुबिक स्तर पर यह सुरक्षा प्राप्त नही हुई हैं । खाद्य सुरक्षा की संकल्पना के लिए न्युनतम आवश्यक उष्मांक का निकष लगाया तो भारत खाद्य सुरक्षा में पिछडा हुआ दिखता हैं । इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रीर्सच के अनुसार निर्वाह रेखा के उपर किमान आवश्यक उपभोग रेखा प्रतिमाह प्रतिव्यक्ती ११.५८कि.ग्रॅ. खाद्यान्न आवश्यक हैं । भारत के ग्रामिण क्षेत्र मे सबसे निचे १० % गरी बजनता का खाद्यान्न का उपभोग १९७२ मे प्रतिमाह सरासरी ८.७१ कि.ग्रॅ. था । १९९० मे १०.७५ कि.ग्रॅ. तक बढ गया । शहरी क्षेत्र में सबसे निचे १० % गरीब कुटुंब का प्रतिमाह सरासरी खाद्यान्न का उपभोग ९.८४ कि.ग्रॅ. से १०.०३ कि.ग्रॅ. तक बढ गया । लेकिन यह बढोतरी न्यूनतम खाद्यन्न उपभोग रेखा के निचे हैं । भारत में सबसे निचे १० % जनता का ही नही किंतु निचे के ३० % जनता का प्रतिमाह उपभोग १९९० मे ICMR के अनुसार कम था यह भारत की खाद्या सुरक्षा की बडी समस्या हैं। भारत मे ९ वी योजना मे खाद्य सुरक्षा की समस्यापर चर्चा हुई हैं । खाद्य सुरक्षा के लिए यह स्विकार किया हैं की, "राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न मे स्वंयूपर्णता और स्थानिक स्तर पर पर्याप्त दर में खाद्यान्न की उपलब्धी होने के उपरोक्त कौटुंबिक स्तरपर गरीब जनता को खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना भारत को शक्य नही हुआ ।" इसमे खाद्यन्न की किंमतों और जनता की क्रयशक्ती इसमे मुलभूत समस्या हैं । इसलिए भारत सरकारने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था और दुहेरी किंमत धोरण का अवलंब किया हैं । भारत सरकारने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की निती गरीब जनता के साथ-साथ आम आदमी के लिए भी हैं । इसलिए खाद्य सुरक्षा के लिए किए गये उपाय कारगर साबीत नही हुए हैं। **सार्वजनिक वितरण व्यवस्था और खाद्य सुरक्षा :** १९६० के दशक मे खाद्यान्नोकी कमी होने के कारण सरकारने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का प्रारंभ किया । इस व्यवस्था के कारण किमतों में स्थिरता के लिए मदत हुई हैं। और नफाखोरी करनेवाले व्यापारीयों के उपरभी दबाव बनाया जा शका । इस

* अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय, लातूर.
** अर्थशास्त्र विभाग, शिवनेरी महाविद्यालय, शिरुर (अ.) जिल्हा लातूर

प्रणाली का मुख्य हेतु गेहू, चावल, चिनी, खाद्यतेल, केरोसीन, कपडा, कोयला आदी जीवनावश्यक वस्तुंओंकी सबसिडीपर पुर्ती करना हैं l **सार्वजनिक वितरण व्यवस्था और गरीबी रेखा के निचे रहनेवाले लोगोंकी खाद्य सुरक्षा :** गत ५० साल का सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का जब हम अध्ययन करते हैं तो **"पिडा के बदौलत उपाय जालिम रहा हैं"** इसका मतलब यह हैं की, पुरे भारत देश मे इस व्यवस्था से खाद्यान्न की खरेदी करनेवाले लोगोंकी संख्या बहुतही कम हैं l ग्रामिण क्षेत्र मे प्रतिव्यक्ति, प्रतिमाह खरेदी ०.८८ कि.ग्रॅ. और शहरी क्षेत्र में १.३४ कि.ग्रॅ. थी l पंजाब और हरियाणा जैसे प्रगत राज्यों में खरेदी बहुतही कम थी l बिहार ओरिसा, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश जैसे गरीबी रेखा मे रहनेवाले राज्योंमे भी इस व्यवस्था से खरेदी बहुत ही कम थी l इस व्यवस्था से गरीब जनसंख्या के साथ-साथ साधारण उत्पन्न समुह में रहनेवाले लोगोंको भी लाभ हुआ हैं l केरळ और आंध्रप्रदेश जैसे राज्यों मे इस व्यवस्था में खाद्यान्नों की खरेदी में सभी उत्पन्न समुह का तुलनात्मक दृष्टीसे अधिक लाभ हुआ हैं l इसके विपरीत बिहार, उत्तर प्रदेश आदी राज्योंमे इसका पर्याप्त लाभ नही उठा सके हैं l भारत में अन्य राज्यों मे भी इस प्रकार की खाद्यान्नोंकी खरेदी का प्रमाण भी बहुत कम था l इसका अधिक विश्लेषण निम्न कोष्टक मे दिया हैं l

कोष्टक क्रं. - १ राज्यनिहाय खाद्यान्न की खरेदी

अ.क्र.	राज्य	प्रतिव्यक्ती प्रतिमाह रूपये		
		गरीब	गरीबोत्तर	कुल
१	आसाम	२.२	२.१	२.१
२	आंध्रप्रदेश	७.८	६	६.८
३	ओरिसा	१.६	२.३	२.००
४	बिहार	०.७	१.१	०.९
५	केरला	९.४	८.९	९.१
६	कर्नाटक	३.३	५.३	४.४
७	गुजरात	५.१	४.१	४.५
८	जम्मू कश्मीर	७.९	९.४	८.९
९	हरियाना	०.९	१.५	१.३
१०	उत्तर प्रदेश	१.३	२	१.६
११	महाराष्ट्र	३.५	४.९	४.३
१२	तामिलनाडू	३.९	४.७	४.४
१३	मध्यप्रदेश	१.७	२	१.९
१४	प. बंगाल	५	४.९	४.९
१५	पंजाब	०.९	१.३	१.२
१६	राजस्थान	०.८	०.८	०.८
संपूर्ण भारत		**३.४**	**३.८**	**३.६**

(स्त्रोत :- World Bank Discussin Paper No. ३८० Page p - ४२)

प्रगत सार्वजनिक वितरण व्यवस्था :- तात्कालीन वित्तमंत्री श्री यशवंत सिन्हाने २०००-०१ का केंद्रीय बजट पेश करते हुए इस योजना का प्रारंभ किया हैं l इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश केवल गरीब जनता को खाद्यान्नोंकी पूर्ती करना आवश्यक हैं l इस योजना के प्रमुख उद्देश निम्न प्रकार के हैं l ०१. गरीबी रेखा के निचे रहनेवाले लोगों के लिए गेंहू और चावल का कोटा १० किला से २० किलो तक बढाया गया l गेंहू प्रतिकिलो २.५० रूपये से ४.२० रूपये किया गया और चावल प्रतिकिलो ३.५० रूपयेसे ५.८९ रूपये तक बढाया गया l ०२. गरीबी रेखा के उपर रहनेवाले लोगों के लिए चिनी का कोटा प्रतिव्यक्ती ३७५ ग्रॅम से ४५४ ग्रॅम तक गया l इसकी किंमत भी प्रतिकिलो १२ रूपये से १३ रूपये तक बढाई l आयकर भरनेवाले कुटुंब के लिए इस प्रगत व्यवस्था का लाभ खत्म किया l

इसके उपरांत गरीबी को सामने रखते हुए इस प्रगत व्यवस्था का अवलंब किया l लेकिन इस योजना का पर्याप्त विकास और अवलंब नही हो सका l इसका महत्वपूर्ण कारण यह हैं की गरीबी रेखा के निचे हरनेवाले लोगोंकी क्रयशक्ती न्युनतम थी l उनके पास पर्याप्त मात्रा मे इस व्यवस्थासे खाद्यान्नों की खरेदी करने के लिए पैसा नही हैं l झा और श्रीनिवास इस अर्थशस्त्रीयों ने जो अध्ययन किया हैं l उनके निष्कर्ष के अनुसार इ.स. २००० मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दिया सबसिडी का प्रमाण मात्र १.१ % से १.३ % तक बढ गया l सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे खाद्योन्नो की किमंत और साधारण मार्केट मे खाद्यान्नों की किंमतो मे मुलभूत तफावत के कारण सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में बिकनेवाले खाद्यान्नोकी खरेदी विक्री घुसखोरीसे काले बजार में होने लगी l इस काले बजार का प्रमाण ४१ % इतना बढ़ गया था l इस व्यवस्था के लिए केंद्र शासन स्तरपर पर्याप्त मात्रामें आर्थिक पूर्ती की गयी थी l भारत जैसे खंडप्राय और ११५ करोड जनसंख्यावाले देश मे गरीबी रेखा के निचे रहनेवाले लोगोंकी शोधमोहीम एक कठिण कार्य हैं l उसके कारण यह योजना पर्याप्त मात्रा मे सफल नही हो गयी l बडी सबसिडी की मात्रा से इस योजना का अतिरिक्त भार सरकार पर पड गया l किसी इस योजना का लाब गरीबी रेखा के निचे रहनेवाली जनता के शिवाय अन्य अधिक उत्पन्नवाले लोगोंने लिया इसके कारण यह योजना अधिक असफल हो गयी हैं l इसलिए यह योजना सफल बनाना भारतीय खाद्यान्न की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं l इस योजना को सफल बनाने के लिए निम्न प्रकार की उपाययोजना आवश्यक हैं l **०१. ग्रामिण क्षेत्र में गरीबी रेखा के निचे जीवन जीनेवाली जनता का शोध लेने के लिए निम्न निकष हैं l** ०१. रोजगार योजनामें समाविष्ठ कुटुंब ०२. अपने बच्चों के साथ अकेली रहनेवाली महिला या विधवा ०३. आयकर न भरनेवाले कुटुंब ०४. जलपूर्ती उपलब्ध होनेवाले ५ एकर से कम भूमी या जलपूर्ती उपलब्ध न होनेवाले १० एकर से कम भूमीवाले न्युनतम भूमीधारक कृषक

०५. भूमीहिन कृषि श्रमिक, छोटे कारागीर. **०२) शहरी क्षेत्रोंमे गरीबी रेखा मे रहनेवाली जनता के लिए निकष :** ०१. गलीच्छ वस्ती, पारंपारीक कारागीर (जैसे मोची, चंभार, कुंभार, बांधकाम मजूर आदी.) ०२. आयकर न भरनेवाले कुटुंब. ०३. गॅस, टेलीफोन, फ्रीज, स्वंयचलीत दुचाकी वाहन आदी न रहनेवाले कुटुंब. उपरोक्त निकष के आधारपर ग्रामिण और शहरी क्षेत्र मे गरीबी रेखा के निचे रहनेवाले कुटुंब चुनकर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावी बना सकत हैं। ०३) समाज मे गरीबी रेखा के निचे रहनेवाले कुटुंब को खाद्य सुरक्षा देने मे NGO महत्वपूर्ण भूमिका कर सकते हैं। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मे शासन स्तरपर जो समस्याएँ हैं, उसे दुरूस्त करते हुए NGO काम कर सकते हैं। लोकशाही शासन व्यवस्था में NGO और गाँवपंचायत के माध्यम से इस प्रणाली का विकेंद्रीकरण करने से प्रभवी कार्य बन सकता हैं। गाँवपंचायत और NGO के माध्यम से गरीबी रेख के निचे रहनेवाले सही लोगोंका शोध लेना सुलभ बन सकता हैं। इसके कारण शासन स्तरपर अतिरिक्त होनेवाला आर्थिक व्यय कम हो सकता हैं।

कोष्टक क्रं. २ राज्यनिहाय जिल्होंकी संख्या

अ.क्र.	राज्ये	अति गरीब जिल्हे	गरीब जिल्हे	साधारण गरीब जिल्हे	किमान गरीब जिल्हे	कुल
१	आंध्रप्रदेश	०	५	४	१३	२२
२	ओरिसा	५	५	२	०	१२
३	बिहार	२१	१२	२	०	३५
४	केरला	०	२	३	९	१४
५	कर्नाटक	०	२	११	६	१९
६	गुजरात	१	१	१	१५	१८
७	हरियाणा	०	०	३	९	१२
८	महाराष्ट्र	०	४	१४	७	२५
९	तामिलनाडू	०	१	४	१३	१८
१०	मध्य प्रदेश	२५	१३	३	३	४४
११	पं. बंगाल	६	६	३	०	१५
१२	पंजाब	०	०	०	१२	१२
१३	राजस्थान	११	९	६	१	२७
१४	हिमाचल प्रदेश	७	३	१	०	११
कुल जनसंख्या का विभाजन (%)		२४.८	२५.३	२५.६	२४.३	१००
गरीबी रेखा के निचे रहनेवाली जनसंख्या का विभाजन (%)		३३.५	२७.२६	२३.१७	१६.०७	१००

(स्त्रोत :- P.V. Shrinivasan & Shikha Jha Taking PDS to the poor and directins for futher reforms- EPW sept २९,२००१)

उपरोक्त कोष्टके के अनुसार अधिक गरीबी रेखा और गरीबी रेखा दर्शानेवाले जिल्होंको सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में प्राधान्यक्रम देना और ऐसे जिल्होंके ग्रामिण क्षेत्र में सबसिडी से खाद्यन्नो का वितरण कर लिया तो देश मे लगभग ६० % गरीबी रेखा के निचे रहनेवाली जनसंख्या को इस व्यवस्था के कक्षा में ला सकते हैं। बिहार, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओरिसा, राजस्थान और पं. बंगाल आदी राज्यो में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यमसे न्युनतम खाद्यान्नों का वितरण किया जाता हैं। इसिलए राज्य सरकारोंके माध्यमसे इस योजनाका कार्यन्वयन नही करना चाहिए। गाँवपंचायत और NGO के माध्यमसे इस योजना का कार्यन्वयन आवश्यक हैं। साधारण और न्युनतम गरिबी रेखावाले जिल्होंमें रोजगार और समन्वित बाल विकास सेवा के माध्यमसे खाद्यान्नोका वितरण करनेसे सार्वजनिक, वितरण व्यवस्था के आवश्यक उद्दिष्टोंकी पूर्ती और शासन स्तरपर होनेवाला आर्थिक खर्च कम हो सकता हैं। प्रसिध्द अर्थशास्त्री राधाकृष्णन के अध्ययनसे गरीबी रेखा का उन्मुलन करनेके लिए गरीबींके लिए एक रूपयेका हस्तांतरण के लिए विभिन्न कार्यक्रमको किस प्रकार का अतिरिक्त खर्च होता हैं। इसका अधिक विवरण निम्न कोष्टक मे दिया हैं। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के उपरोक्ष रोजगार योजना और समन्वित बाल विकास सेवा योजना के हस्तांतरण का खर्च तौलनिक दृष्टीसे कम हैं। इसलिए गरीबोंको खाद्यान्नो का वितरण रोजगार योजना और समन्वित बाल विकास सेवा योजना के माध्यमसे करना उचित रहेगा।

कोष्टक क्रं. ३ प्रतिरूपया वितरणपर होनेवाला खर्च

अ.क्र.	योजना का नाम	गरीबोंको के लिए एक रूपयाके हस्तांतरण को अनेवाला खर्च
१	सार्वजनिक वितरण व्यवस्था	५.३७ रू.
२	जवाहर रोजगार योजना	४.३५ रू.
३	महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना	३.१० रू.
४	आंध्र प्रदेश चावल योजना	६.३५ रू.
५	समन्वित बाल विकास सेवा योजना	१.८० रू.

(स्त्रोत : R. Radhakrishan, K. Subbarao, S. Indrakant, K. Ravi (१९९७) Public Distribution A National and Internatinal Prespective world bank Discussion paper No. ३८०.)

०६. सबसे बडी बाब यह है की, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मे गरीब लोगोंको उनके जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओंका ही वितरण होना आवश्यक हैं। (जैसे-जवार, चावल, गेहू, मका, डाळी, केरोसिन आदी.)

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. Swaminathan, M.S.:- " How to make India an agro Power ?" Speech at Seminar organised by Indian Merchants chamber, Mumbai on april 3, 2002. 2. Jalan Bimal :- India's Economic Policy, Viking Penguine India. (1996) 3. Taimni B.K. :- Food Security in 21 st Century : Perspective and vision, Konark Publishers. (2001) 4. Ahaluwalia D. :- " Public Distribution of food in India, Coverage, trageting & leakages' food policy, 18 (1) 33-54. (1993) 5. Suryanarayan M.H. :- PDS Reform and Scope for commodity based targeting (Mimeo).